

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 8 फरवरी, 2017

विषय: राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में शौकत अली मार्ग पर 54" आकार की पुरानी ट्रंक सीवर लाइन क डिसिल्टिंग एवं रिहैबिलिटेशन कार्य की निर्धारित लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) 30प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-202/नागर-2/033-410/16, दिनांक 05.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में शौकत अली मार्ग पर 54" आकार की पुरानी ट्रंक सीवर लाइन क डिसिल्टिंग एवं रिहैबिलिटेशन कार्य की निर्धारित लागत ₹0 1156.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-193/2015 3555/नौ-5-15-110बजट/2015 दिनांक 07.10.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹0 500.00 लाख का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में ₹0 500.00 लाख (रु. पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार संदर्भित शासनादेश दिनांक 07.10.2015 द्वारा निर्धारित शर्तों पर अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किराी भी दशा मे नहीं किया जायेगा।
- (3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (7) कार्यों की द्धिरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगा। यदि

निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवाये-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशाओ संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,

संख्या-38/2017-472/नौ-5-17-110बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर:-

1. महालेखाकार (वक्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता, (इलाहाबाद क्षेत्र), 30प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, 30प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8. अधिशासी अभियंता, 30प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
10. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	900000	50000	50000	50000	850000
योग	900000	50000	50000	50000	850000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल रोवार्ये-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	100000	150000	50000	50000	150000
योग	100000	150000	50000	50000	150000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

- (1) सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।
- (2) स्तम्भ 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
नागर निकायों के लिये सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिषद्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 427 -ई-8-215 /दस-2017, दिनांक 07 फरवरी, 2017

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-38 /2017-472/नौ-5-2017-110 बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षेत्र), 30प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, 30प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8. अधिशासी अभियंता, 30प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
10. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर रोल।

आज्ञा रो.

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-08/02/2017


प्रेषण संख्या:- 38
आवंटन आदेश संख्या:- 001-38-2017-472-9-5-17-110B-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 200000000	50000000 200000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 200000000	50000000 200000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़


(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी